

संख्या :- 17-आवंटन(स्था0 -0101)-141/2017.....

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार मिश्र, नार0प्र0से0
निदेशक,
भू-अभिलेख एवं परिमाण,
बिहार, पटना।

सेवा में,

समाहर्ता-सह-बंदोबस्त पदाधिकारी,
मुंगेर, वैशाली, पटना, सुपौल, बेगूसराय, छपरा,
खगड़िया, सीवान, नालन्दा, भोजपुर (आरा),
सहरसा, लखीसराय एवं शेखपुरा।

पटना, दिनांक :

विषय :- मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व -उप मुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 -
सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उप शीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का
पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु
आपके अधीनस्थ कार्यालय को उपर्युक्त बजट शीर्ष के अन्तर्गत संलग्न विवरणी के अनुसार कुल
1,02,65,500/= (एक करोड़ दो लाख पैसठ हजार पाँच सौ) रुपये मात्र का आवंटन निर्गत किया जाता
है।

- 2.. यह आवंटन वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक - 2561 दिनांक 17.04.1998, राज्यादेश
संख्या 1184 दिनांक 03.07.2015 एवं राज्यादेश संख्या 688 दिनांक 19.05.2017 के
आलोक में निर्गत किया जाता है।
- 3 अनुरोध है कि व्यय को आवंटन के अन्तर्गत रखते हुए राशि की निकासी की जाय।
4. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों को मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/लघु
शीर्ष/उप शीर्ष/इकाई कोड/माँग संख्या - 40 एवं विपत्र कोड 40 -
2029001020101 अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में
लेखा संधारण समुचित ढंग से करने होंगे ताकि अनियमितता की संभावना नहीं रहे।
5. यह आवंटन आदेश वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय होने वाली वेतनादि मद एवं अन्य मद
के लिए निर्गत किया जाता है तथा इस राशि से वेतनादि का बकाया राशि का भुगतान
नहीं किया जायेगा।
6. आवंटित राशि की मासिक व्यय विवरणी प्रत्येक माह की पाँचवी तारीख तक एवं
त्रैमासिक व्यय विवरणी नियमित रूप से मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित किया जाये।
7. बिहार वित्तीय नियामवली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत प्रावधानों तथा समय-समय
पर निर्गत आदेशों का दृढतापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से
नियंत्रण रखा जा सकें।
8. किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाये
तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की
जाये। तदनुसार भुगतान सुनिश्चित करना संबंधित पदाधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेवारी
होगी।

9. नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाणपत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/भुगतान करने वाले पदाधिकारी की जिम्मेवारी होगी।
10. इसकी सूचना महालेखाकार(ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।
11. उपर्युक्त आवंटित राशि के अतिरिक्त राशि की मांग के साथ संबंधित विषय शीर्ष में कुल आवंटित राशि अद्यतन व्यय, अवशेष राशि एवं अभ्युक्ति अवश्य अंकित की जाय।
12. आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही किया जाय। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

अनुलग्नक :- यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह०/-

(वीरेन्द्र कुमार मिश्र)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

पटना, दिनांक

ज्ञापांक :- 17-आवंटन (स्था० -0101)-141/2017.....

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन (स्था० -0101)-141/2017.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर, वैशाली, पटना, सुपौल, बेगूसराय, छपरा, खगड़िया, सीवान, नालन्दा, भोजपुर (आरा), सहरसा, लखीसराय एवं शेखपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन (स्था० -0101)-141/2017.....

पटना, दिनांक

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 17-आवंटन (स्था० -0101)-141/2017.....

पटना, दिनांक 16/12/2018

प्रतिलिपि (अनुलग्नक सहित) :- आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना एवं बजट शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना।

मुख्य शीर्ष - 2029 - भू-राजस्व - उपमुख्य शीर्ष - 00 - लघु शीर्ष - 102 - सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त कार्य - उपशीर्ष - 0101 - सर्वेक्षण और बन्दोबस्त कार्य का पुनरीक्षण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में निधि का आवंटन :-

क्र०	बन्दोबस्त कार्यालय का नाम	01 01 से 01 07 तक	02 01	11 01	13 01	13 04	13 06	13 10	28 02	52 01	कुल योग
		वेतन	मजदूरी	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	विद्युत प्रभार	वर्दी/ पोशाक	भाड़े की गाड़ी का भुगतान	संविदा सेवायें	मशीने एवं उपस्कर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	मुंगेर	—	—	—	100000	—	—	—	—	—	100000
2	वैशाली	150000	—	—	—	—	—	—	—	—	150000
3	पटना	1600000	—	25000	25000	—	—	—	—	—	1650000
4	सुपौल	466000	—	—	—	—	—	200000	—	—	666000
5	बेगूसराय	—	—	25000	100000	50000	—	—	—	—	175000
6	छपरा	—	—	15000	100000	40000	5000	—	—	—	160000
7	खगड़िया	500000	—	—	—	—	—	—	—	—	500000
8	सीवान	300000	—	—	—	—	—	—	50000	40000	390000
9	नालन्दा	700000	500000	20000	—	—	—	—	2800000	—	4020000
10	मोजपुर (आरा)	200000	—	—	—	—	4500	—	—	—	204500
11	सहरसा	—	—	—	—	—	—	—	150000	—	150000
12	शेखपुरा	—	—	—	—	—	—	—	1100000	—	1100000
13	लखीसराय	—	—	—	—	—	—	—	1000000	—	1000000
कुल योग		3916000	500000	85000	325000	90000	9500	200000	5100000	40000	10265500


 (वीरेन्द्र कुमार मिश्र),
 निदेशक,
 भू-अभिलेख एवं परिमाण,
 बिहार, पटना